झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
झारखण्ड, राँची

पुरूलिया रोड, सिविल सर्जन राँची के कार्यालय के बगल परिसर, राँची, झारखण्ड–834001
ई–मेलः registrarjnrc@rediffmail.com, वेबसाईटः www.jnrcranchi.com

संoसंo–जेoएनoआरoसीo/208/2022 - 34 राँची/दिनांकः–..12..../..01..../2023

प्रेषक,

निबंधक,
झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अध्यक्ष / निदेशक / प्राचार्या,
झारखण्ड राज्य अंतर्गत सभी नर्सिंग शिक्षण संस्थान।

विषयः–अपने अपने शिक्षण संस्थानों में सभी शैक्षणिक कर्मी एवं छात्र–छात्राओं की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम दर्ज कराने तथा तत्संबंधी विवरणी / प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः–इस कार्यालय का आदेश संख्या 43/JNRC दिनांक 04.02.2022 एवं आदेश संख्या 360 दिनांक 12.05.2022

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों (छायाप्रति संलग्न) के सन्दर्भ में कहना है कि विगत लगभग एक वर्ष से राज्य अंतर्गत झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शिक्षण संस्थानों को अधिनस्त शैक्षणिक कर्मियों एवं छात्र–छात्राओं की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से दर्ज कराने की व्यवस्था कराने का निदेश दिया जाता रहा है, परन्तु अधावधि प्रसंगाधीन आदेशों का अनुपालन आपके द्वारा नहीं किया जाना खेद का विषय है।

उल्लेखनिय है कि शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक कर्मियों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य के प्रशासी विभाग द्वारा बैठकों के दौरान निरन्तर इस संबंध में झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद् को निदेश प्राप्त होता रहता है जिस हेतु आपके स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है।

अतः स्मारित करते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने–अपने शिक्षण संस्थानों में एक पक्ष के अंदर शैक्षणिक कर्मियों एवं छात्र–छात्राओं की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगें तथा तत्संबंधि सूचना / विवरणीर / प्रतिवेदन समय सीमा के अंदर झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद् को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया इसे आवश्यक समक्षा जाए।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

12/01/2023

निबंधक

झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्

झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः- 34/JNRC

राँची/दिनांकः-..12..../..01.../2023

प्रतिलिपिः-

1. श्री चंदन कुमार, भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ-सह-अध्यक्ष, झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

12/01/2023

निबंधक

झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्

झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

झारखण्ड, राँची

पुरुलिया रोड, सिविल सर्जन राँची के कार्यालय के बगल परिसर, राँची, झारखण्ड 834001

ई-मेल: registrarjnrc@rediffmail.com, वेबसाईट: www.jnrcranchi.com

पत्रांकः- 413/JNRC

राँची / दिनांकः-04/02/2022

आदेश

दिनांक 14.12.2021 को विभागीय निष्पादन समिति की बैठक विभागीय अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहुत थी। उक्त बैठक के निर्देशानुसार, झारखण्ड राज्य अंतर्गत सभी नर्सिंग संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि संस्थान अपने शैक्षणिक कर्मी तथा छात्र-छात्राओं की उपस्थिति बायोमेट्रिक के माध्यम से बनाना सुनिश्चित करें तथा उक्त की जानकारी एवं विवरणी परिषद् के वेबसाईट www.jnrcranchi.com पर भी उपलब्ध हो।

04.02.22

निदेशक प्रमुख-सह-अध्यक्ष

झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्,

झारखण्ड, राँची

Scanned with CamScanner

झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्

पुरुलिया रोड, सिविल सर्जन राँची के कार्यालय के बगल परिसर, राँची, झारखण्ड–834001
ई–मेलः registrarjnrc@rediffmail.com, वेबसाईटः www.jnrcranchi.com

पत्रांकः–118/झा0परि0नि0प0/2021– 360 राँची / दिनांकः–12/05/2022

आदेश

झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्, झारखण्ड, राँची के पूर्व के पत्रांक 39 दिनांक 04.02.2022 तथा पत्रांक 43 दिनांक 04.02.2022 के द्वारा झारखण्ड राज्य अंतर्गत सभी नर्सिंग संस्थानों को निर्देशित था कि सभी संस्थान अपना वेबसाईट तैयार कर परिषद् कार्यालय को सूचित करें तथा सभी कर्मी एवं छात्र–छात्राओं की उपस्थिति बायोमेट्रिक के माध्यम से बनाना सुनिश्चित किया जाय।

उक्त के संदर्भ में, जिन संस्थानों के द्वारा दिनांक 12.05.2022 तक उक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है वैसे संस्थानों को निर्देशित है उक्त कार्यों को, पत्र निर्गत से एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कर परिषद् कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित किया जाय। उक्त अवधि में कार्य को पूर्ण करने के स्थिति में, संबंधित संस्थान पर परिषद् / विभागीय आदेश का पालन ना करने के कारण उचित कार्रवाई की जायेगी।

इस आदेश को प्रथम प्राथमिकता दी जाय।

12/05/2022
निबंधक
झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांकः– 360/JNRC राँची / दिनांकः–12/05/2022
प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

12/05/2022
निबंधक
झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्
झारखण्ड, राँची